

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
आयती संख्या 3298...
दिनांक 20/10/21.....

क्रमांक: प.16(192)विज्ञो/गृह-10/2019

जयपुर, दिनांक:- 05.10.2021

—:आदेश:—

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 29.11.2019 को अधिष्ठित करते हुये राज्य सरकार अभियोजन को वापस लिये जाने हेतु प्रकरणों का गुणावगुण के आधार पर समीक्षा कर राज्य सरकार को अनुशंषा किये जाने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार करती है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. शासन सचिव, गृह | अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध)
द्वारा नामित महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी | सदस्य |
| 3. संयुक्त विधि परामर्शी | सदस्य |

आज्ञा से
(Chakrabarti)
5/10/21
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह।
3. शासन सचिव, गृह।
4. संयुक्त विधि परामर्शी

(Chakrabarti)
5/10/21
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त समिति में महानिरीक्षक पुलिस स्तर के अधिकारी को नामित करें।
3. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को गृह विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(Chakrabarti)
5/10/21
शासन सचिव, गृह (विधि)

महेश
20/10/21